

विधानसभा वार्षिक प्रश्न क्रमांक 212
 द्वारा माननीय विधायक श्रीमती ललिता यादव
 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत लीज के स्थान पर उत्खनन न होने की शिकायतों पर कार्यवाही

क्र.	जिला	दिनांक	अधीन उत्खननकर्ता/डेप्युटी का नाम	शाम	अतिरिक्त शांति/परतांति राशि	जमा नहीं होने पर की गई कार्यवाही का विवरण	प्रकरण की अंतिम स्थिति
1	उत्तर प्रदेश	29/03/2019	महेश चौधरी/श्रीमती जगदीश्वर मोहल्ला महाराजपुर जिला उत्तर प्रदेश	पूरा	15,00,000/-	प्रकरण न्यायालय में विचारधीन/निर्णय नहीं हुआ है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
2	उत्तर प्रदेश	14/11/2019	अखिलेश कुमार द्विवेदी तनय श्री राजकिशोर द्विवेदी निवासी विवेक नगर बनारस	वर्दीराकला	4,05,000/-	राशि 4,05,000/- चालन क्र. 08534058 दिनांक 08.12.2019 से जमा करवाई जा चुकी है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
3	उत्तर प्रदेश	04/03/2020	मंसूर पूजा स्टेशन केशव प्रो. श्री भाग्यनारायण चौधरी	वकरवाहा	21,00,000/-	प्रकरण न्यायालय में विचारधीन/निर्णय नहीं हुआ है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
4	उत्तर प्रदेश	30/10/2020	मंसूर खजुराहो स्टेशन (इण्डिया) प्रा.लि. उत्तर प्रदेश	पूरा	1,44,00,000/-	संवालय न्यायालय भौतिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र 12506-07/खनिज/न.क्र. 190/अपील/2021 भोपाल, दिनांक 13.09.2021 से प्रकरण के निराकरण तक कलेक्टर उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश प्रकरण क्र. 200/अ-67/खनिज/2020-21 दिनांक 5.4.2021 स्थगित किया गया है तथा वर्तमान में प्रकरण कमिश्नर न्यायालय में विचारधीन है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।

प्रश्न सं. [क्र. 212]

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

5	छतरपुर	31/10/2020	मेसर्स खजुराहो मिनरल्स छतरपुर	रूढ़ीर	5,83,20,000/-	संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र 12509-10/खनिज/म.क्र. 190/अपील/2021 भोपाल, दिनांक 13.09.2021 से प्रकरण के निराकरण तक कलेक्टर छतरपुर द्वारा जारी आदेश प्रकरण क्र. 201/अ-67/खनिज/2020-21 दिनांक 5.4.2021 स्थगित किया गया है तथा वर्तमान में प्रकरण कनिश्चनर न्यायालय में विद्यारथीन है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
6	छतरपुर	29/12/2020	मेसर्स भाऊ स्टीन मिल कबरई जिला महेबा उसरो	बदौराकला	30,60,00,000/-	प्रकरण न्यायालय में विद्यारथीन/निर्णय नहीं हुआ है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
7	छतरपुर	03/02/2021	हरगोविन्द चतुर्वेदी	घटहरी	4,50,00,000/-	प्रकरण न्यायालय में विद्यारथीन/निर्णय नहीं हुआ है।	सक्षम न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने के उपरान्त जुर्माना की राशि वसूल की जाती है।
8	छतरपुर	24/01/2022	दीपक सिंह तनय श्री एस.के. सिंह निवासी अमरक तहसील गोरिलार	लौरी	1,25,280/-	राशि 125280/- चालन क्र. 051/9999999/0853/05/22/008071 दिनांक 18.05.2022 से जमा कराई जा चुकी है।	निराकृत
9	छतरपुर	02/11/2022	रुधिर जैन तनय श्री श्रीपाल जैन निवासी सतना मण्डल	लखेशी	13,50,000/-	न्यायालय कनिश्चनर सागर सम्भाग, सागर अपील क्रमांक 0207/अपील/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 से कलेक्टर छतरपुर का आदेश क्र. 0101/अ-67/2022-23 दिनांक 20.03.2023 निरस्त किया गया।	निराकृत

(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

उपसंचालक (ख.प्र.)
जिला छतरपुर (मण्डल)